



2026:AHC:52768

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 9381 वर्ष 2025

तीरथ राज दुबेयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृष्ण बिहारी, शिवाजी श्रीवास्तव, सोमेश सोनी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जे. एन. मौर्य, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सौम्या चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

वापसी आवेदन संख्या - 02/2026 के संबंध में

1. वर्तमान वापसी आवेदन के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की मांग की है।
2. वापसी आवेदन स्वीकार किया जाता है।
3. रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है, जिसमें नए सिरे से याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।